श्री सरयू राय, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक–24.03.2025 को पूछे जाने वाले अल्प सूचित प्रश्न सं०–अ०सू०–58 का उत्तर :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि नगर निकायों का चुनाव कराने के संबंध में दायर अवमानना वाद पर सरकार ने चार माह के भीतर चुनाव कराने का शपथ–पत्र माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में दिया है, जिसकी अवधि शीघ्र समाप्त होने वाली है;	स्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि वाद संख्या–W.P. (C) No.-1923/2023, रीना कुमारी बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य तथा वाद संख्या–W.P.(C)No.-2210/2023, रोशनी खलखो बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में दिए गए न्याय निर्णय से उद्भूत अवमानना वाद Cont. Case (Civil) No.-114 of 2024, की सुनवाई के दौरान दिनांक–16.01.2025 को माननीय उच्च न्यायालय को राज्य सरकार द्वारा वस्तुस्थिति से अवगत कराये जाने के दौरान नगर निकाय चुनाव कराने हेतु 04 माह का समय दिया गया है।
2.	क्या यह बात सही है कि राज्य के नगर निकाय चुनावों में पिछड़ा वर्ग का आरक्षण सुनिश्चित करने के लिए ट्रिपल टेस्ट का काम पूरा नहीं हुआ है और पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष पद रिक्त होने के कारण यह काम रूका हुआ है;	अस्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि यद्यपि वर्त्तमान में पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग का अध्यक्ष पद रिक्त है, किन्तु दो सदस्य कार्यरत हैं तथा आयोग द्वारा ट्रिपल टेस्ट की कार्रवाई की जा रही है। आयोग के सचिव के पत्रांक–114 दिनांक–20.03.2025 द्वारा अवगत कराया गया है कि – **ट्रिपल टेस्ट के अंतर्गत डोर–टू–डोर सर्वे का कार्य सभी जिलों में कराया जा रहा है, जिसके अंतर्गत कोडरमा, राँची एवं देवघर को छोड़कर अन्य सभी 21 जिलों से प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है। जिन जिलों से प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है, उन जिलों में प्रतिवेदनों की समीक्षा/जांच हेतु आयोग की टीम द्वारा क्षेत्रों का परिभ्रमण किया जा रहा है।** अतः स्पष्ट है कि पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष पद रिक्त रहने के कारण कोई भी काम रूका या बाधित नहीं है। विभागीय पत्रांक–118 दिनांक–13.01.2025 द्वारा अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण, झारखण्ड, राँची से पिछड़े वर्गों के लिए आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति का अनुरोध किया गया है।
3.	क्या यह बात सही है कि ट्रिपल टेस्ट द्वारा पिछड़ा वर्ग का आरक्षण निकाय चुनावों में निर्धारित नहीं होने के बाद भी सरकार समय–सीमा के भीतर चुनाव करा लेना चाहती है;	राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्देशित निकाय चुनावों में पिछड़े वर्गों का आरक्षण निर्धारित करने के लिए ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए ओ०बी०सी० आरक्षण के साथ निकाय चुनाव कराने हेतु कृत संकल्प है। तदनुरूप पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग द्वारा 21 (इक्कीस) जिलों में ट्रिपल टेस्ट के लिए सर्वे की प्रक्रिया पूर्ण करा ली गयी है एवं शेष तीन जिलों में सर्वे का कार्य शीघ्र पूरा करा लिया जायेगा।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार नगर निकाय चुनावों के लिए अधिसूचना जारी करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त कंडिकाओं में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांक:–08/अ०सू०प्रश्न–02/2025 न०वि०आ० 1014 राँची, दिनांक– 22/03/25

प्रतिलिपि:–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं०प्र०–1347 दिनांक–17.03.2025 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22/3/25
सरकार के उप सचिव।